

मिसिल सं. 76/01/2023-प्रशासन1

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

श्रम ब्यूरो भवन, ब्लॉक न. 2,

संस्थागत क्षेत्र, चंडीगढ़।


दिनांक: 19.07.2023

कार्यालय आदेश संख्या 198 के 2023

इस ब्यूरो के पूर्व कार्यालय आदेश संख्या 196/2023 दिनांक 13.07.2023 और 197/2023 दिनांक 13.07.2023 के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित महिला अधिकारियों के संबंध में शेष बाल देखभाल अवकाश (CCL) उनके नाम के सामने निम्नानुसार दिया गया है:-

क्रम संख्या	नाम व पदनाम (श्रीमती/ कुमारी)	से	तक	कुल दिन	शेष बाल देखभाल अवकाश (CCL)
1	ताशी डोलमा, सहायक निदेशक	03-07-23	13-07-23	11	389
2	मनीषा मुखरेजा, सहायक अनुभाग अधिकारी	17-07-23	30-08-23	45	606
3	चेष्ठा गोयल, सहायक अनुभाग अधिकारी	05-06-23	07-07-23	33	411
4	ज्योति श्री, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	05-06-23	23-06-23	19	578
5	निधि उपाध्याय, अन्वेषक ग्रेड I	10-07-23	25-01-24	200	291
6	प्रियंका नेवलिया, अन्वेषक ग्रेड II	09-06-23	08-09-23	92	458
7	शिखा ग़ोवर, अन्वेषक ग्रेड II	05-06-23	16-06-23	12	623
8	सोनिया, सहायक अनुभाग अधिकारी	19-06-23	30-06-23	12	258
9	सुनिधि, अन्वेषक ग्रेड II	12-06-23	16-06-23	5	625
10	सुमन शर्मा, सहायक निदेशक Ex- Cadre	19-06-23	30-06-23	12	331
11	स्वीटी निशाद, अन्वेषक ग्रेड II	12-07-23	11-08-23	31	559
12	मोनिका, बहुकार्य कर्मचारी	19-06-23	28-06-23	10	512

2. डीओपीटी के कार्यालय जापन सं. 11020/01/2017-Estt.(L) दिनांक 30.08.2019 के अनुच्छेद III के बिंदु (a) के अनुसार, बाल देखभाल अवकाश (CCL) के दौरान पहले 365 दिनों के लिए अवकाश वेतन का 100% और अगले 365 दिनों के लिए अवकाश वेतन का 80% प्रदान किया जा सकता है।


(कुलविंदर सिंघ)

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. सम्बंधित अधिकारी
2. कार्यालय आदेशक / रोकड़ अनुभाग
3. व्यक्तिगत मिसिल / कार्यालय आदेश पुस्तिका / एम.टी.यू.